न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 42/25 GCMS NO 2025/76

विहाल सिह पुत्र भजन जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरोठ जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. हाकिम सिह पुत्र हजारी जाति माली निवासी शेरपुर तहसील सूरोठ जिला करौली
कमला
3. जयलाल पिसरान लोहरे
4. समंदर
5. मोहन
6. नरेश पिसरान श्यामा जाति ... न माली निवासीयान शेरपुर तहसील सूरोठ जिला करौली
7. तहसीलदार तहसील सूरोठ जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 336/22 निर्णय व प्राथमिक ढिकी दिनांक 27.3.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री पुरूषोतम गोयल

दिनांक 19.12.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 27.3.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरोठ मे वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। मौके पर खातेदारान ने उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। बाहमी बंटवारा अनुसार वादी ने उक्त आराजी के पूर्व खातेदार भरसी,श्रीमन व फुलवती पिसरान घीसोली से उनके उत्तरी तरफ के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया है एवं उसी हिस्से पर खरीद के दिनांक से आज तक वादी काबिज एवं दलील है एवं उत्तरी हिस्से का हवाला भी वादी के रजिस्टर्ड विकय पत्र मे भली प्रकार से अंकित है। इसी प्रकार उक्त आराजीयात का बहामी बंटवारे के आधार पर विधिवत बंटवारा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी के पास ज्यादा जमीन है इसलिए उस पर काश्त नही करने देगे तब वादी ने प्रतिवादीगण से विधिवत बंटवारा कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इकार कर दिया। प्रतिवादीगण जबरन वादी के हिस्से पर कब्जा करने पर आमादा है इसलिए ... आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि आराजी खसरा न0 ... रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरोठ मे वादी के 1/2 हिस्से की अलग खातेदारी कायम की जाकर मौका कमिश्नर से बंटवारा स्कीम प्राप्त की जाकर फाईनल डिकी किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के हिस्से की आराजीयात मे कोई दखलअंदाजी नही करे ना ही किसी अन्य से करावे किसी दीगर व्यक्ति को रहन बेचान नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 निहाल सिह पुत्र भजन द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने वाद पत्र मे श्यामा की पुत्रियो शकुन्तला,मोहनदेई, भंगो को पक्षकार नही बनाया है तथा जयलाल की पुत्री कमला जो कि वर्तमान मे केरा की ढाणी मे ब्याही है तथा केरा की ढाणी हिण्डोन सिटी मे है जिसका पता शेरपुर दर्ज कर उक्त दावा पेश किया है। इस प्रकार वादी द्वारा श्यामा की पुत्रियो को व लोहरे की पुत्री कमला का गलत पता लिखकर उक्त दावा पेश किया है जिनकी प्रोपर तामील नही हुई है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त डिक्री पारित करने मे कानूनी भूल की है। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त दावा आराजी ख0न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरोठ के बाबत पेश किया है जो दिनांक 21.11.22 को पेश किया था, अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 ने निहाल सिह ने उक्त भूमि बावत बउनवानी दावा निहाल बनाम प्रेम बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 6.5.22 को अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था जो उक्त उनवानी दावा से पहले पेश किया था, जिसमे अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 ने श्यामा के सभी वारिसो को पक्षकार बनाया गया है उनकी सही पता दावे मे अंकित किया है तथा उक्त दावा जबाब दावे मे नियत था, जिसमे निहाल सिह प्रतिवादी संख्या 10 पक्षकार था, जिसने अपना जवाब दावा पेश किया है ना ही श्यामा के वारिसो ने जबाब दावा पेश किया है। उक्त उनवानी दावा हाकिम सिह बनाम निहाल सिह ने अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 ने उक्त दोनो दावो को कंसोलिडेट करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर बिना जबाब दावे को प्राथमिक डिक्री करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त योग्य है। श्यामा ने अपने जीवनकाल मे आराजी ख0न0 469 रकबा 24 ऐयर, 276 रकबा 17 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरोठ 1/5 हिस्से को दिनांक 15.5.13 को जरिये एग्रीमेंट सोहन सिह को अपनी घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु एक लाख रूपये मे विकय कर दिया था। श्यामा ने 70 हजार रूपये दिनांक 15.5.13 को नकद प्राप्त कर लिये थे 30 हजार रूपये वरवक्त रजिस्ट्री अदा करना तय हुआ था। जिसका इकरारनामा श्यामा ने 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर न्यायालय परिसर हिण्डौन मे टाईप से तहरीर व तकमील करवा कर खुद की अंगूठा निशानी लगा दी। तथा मौके पर सोहन सिह का कब्जा करा दिया था तभी से ही श्यामा व श्यामा के वारिसान का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नही रहा। श्यामा का दिनांक 8.2.20 को देहान्त हो जाने के कारण श्यामा के वारिसान के मन मे बदयांति आ गई तथा सोहन सिह के हक मे रजिस्ट्री कराने से इंकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिया। जिसका दावा तकमील मुहायदा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा बउनवानी सोहन सिह बनाम प्रेम मु0न0 51/22 न्यायालय अति0सिविल जज हिण्डौन सिटी के यहाँ विचाराधीन है। जो जैरकार है। जिसका इल्म वादी/रेस्पो0 को भली भाँति है। फिर भी वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त सभी तथ्य छिपाकर दावा पेश किया है जो मेटेबल नही है। उक्त सारे तथ्य वाद जवाब व तनकीयात कायम किये जाते, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो जबाब दावा लिया गया तथा बिना जबाब दावे के ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अहम भूल की है। इसलिए निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात पर सुन्दर, महेन्द्र, नरेश पिसरान श्यामा का मौके पर कब्जा रहीर है तथा बिना कब्जे के आधार पर दावा मेटेबल नही है। इसलिए उक्त प्राथमिक डिकी निरस्त येाग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सारी प्रकिया को ताक मे रखकर निर्णय व डिकी पारित की है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिकी अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरोठ मे रेस्पो0 संख्या 1 वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। मौके पर खातेदारान ने उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। बाहमी बंटवारा अनुसार वादी ने उक्त आराजी के पूर्व खातेदार भरसी,श्रीमन व फुलवती पिसरान घीसोली से उनके उत्तरी तरफ के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया है एवं उसी हिस्से पर खरीद के दिनांक से आज तक वादी काबिज एवं दलील है एवं उत्तरी हिस्से का हवाला भी वादी के रजिस्टर्ड विकय पत्र मे भली प्रकार से अंकित है। इसी प्रकार उक्त आराजीयात का बहामी बंटवारे के आधार पर विधिवत बंटवारा कराने के अधिकारी होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से की आराजी मे दखल अंदाजी कर कब्जे मे महरूम करने के कारण बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि उक्त भूमि को सोहन सिह द्वारा पूर्व मे जरिये एग्रीमेंट खरीद किया है। जबकि इस प्रकार का कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। जहाँ तक जवाब दावे का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा जानबूझकर जवाब दावा पेश नही किया है तथा सहमति देकर वाद पत्र को प्राथमिक डिकी करने का निवेदन किये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिकी किया गया है। इसी प्रकार जहाँ तक दूसरे वाद का प्रश्न है तो अपीलाधीन वाद की आराजीयात भी भिन्न है तथा इस वाद की आराजी भिन्न है तथा पक्षकार भी समान नही है। इस प्रकार दोनो दावो को कसोलिडेट नही किया जा सकता । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्राथमिक डिकी पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अतःअपीलांट की अपील खाारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा आराजी खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरोठ बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादी/रेस्पो0 1 द्वारा वाद पत्र मे श्यामा की पुत्रीयो को पक्षकार नही बनाया है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से होती है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 निहाल सिह द्वारा एक अन्य दावा नुकसानी एवं स्थाई निषेधाज्ञा निहाल सिह बनाम प्रेम दिनांक 6.5.22 को अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है जबकि हस्तगत अपील से संबंधित वाद दिनांक 21.11.22 को अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है। इस प्रकार उनवांनी दावा निहाल सिह बनाम प्रेम हस्तगत अपीलाधीन निर्णय से पूर्व का है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि दोनो दावो को कंसोलिटेड कर दोनो दावो पर विनिश्चय किया जाकर एक साथ निर्णय पारित करना चाहिए था। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही कर पूर्व दावे के पश्चात पेश किये गये दावे का निस्तारण पहले कर दिया गया है जो न्याय संगत है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बिना जवाब दावे के ही निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित की गई है जबकि बंटवारे के वाद मे सहखातेदार से जवाब दावा प्राप्त किया जाकर दावा एवं जबाब दावा अनुसार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही प्राथमिक डिकी जारी करनी चाहिए। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण मे श्यामा के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर तथा एक अन्य दावा निहाल सिह बनाम प्रेम को कंसोलिडेट कर हिस्से अनुसार प्राथमिक डिकी पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 336/22 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 27.3.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है आपके न्यायालय मे पूर्व से विचाराधीन दावा बउनवानी निहाल सिह बनाम प्रेम व अपीलाधीन दावे को कंसोलिडेट किया जाकर तथा श्यामा के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए जवाब दावा प्राप्त किया जाकर हिस्से अनुसार प्राथमिक डिकी किया जावे। यहॉ यह तथ्य समाचीन है कि प्रकरण मे पुनः साक्ष्य लेने की कोई आवश्यकता नही है। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के यहॉ दिनांक 13.01.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
सजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested